	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 09, शुक्रवार, *शाके* 1941–फरवरी 28, 2020 *Phalguna 09, Friday, Saka 1941–February 28, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 26, 2020

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 की अधिसूचना

के प्रावधान सं. -14 (ब) अन्तर्गत

एकमुश्त समाधान योजना, 2020

1. प्रस्तावनाः-

संख्या प.14(5)उद्योग/1/2012:- पार्ट राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 01.04.1990 को राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 की अधिसूचना जारी की गई थी। योजनान्तर्गत लाभान्वित औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी विनियोजन पर 15 प्रतिशत एवं श्रेणी अनुसार इससे अधिक अनुदान की सुविधा उपलब्ध थी।

योजना के अन्तर्गत लाभांवित औद्योगिक इकाई को अनुदान वितरण तिथि से निरन्तर 5 वर्ष तक उत्पादनरत रहने की शर्त का प्रावधान निहित था। योजना अवधि में लाभांवित कुल 13413 औद्योगिक इकाईयों में से लगभग 565 इकाईयॉ निरन्तर 5 वर्ष उत्पादनरत रहने में असफल रही है। इनमें से अधिकांश इकाईयां को संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिग्रहीत कर विक्रय किया जा चुका है। परिणामस्वरूप उनसे बकाया ऋण की पूरी राशि (मूलधन एवं ब्याज) वसूल नहीं हो पायी है। वर्तमान में कुछ इकाईयां अस्तित्व में ही नहीं है एवं उनकी परिसम्पत्तियों की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही कुछ प्रकरण एल. आर. एक्ट/पी.डी.आर एक्ट के अन्तर्गत वसूली नहीं हो सकने के कारण संबधित न्यायालय द्वारा विभाग को पुनः लौटा दिये गये हैं। अतः अनुदान वसूली के उक्त लम्बित प्रकरणों के प्रभावी निस्तारण हेतु एकमुश्त समाधान योजना, 2020 को लागू किया जा रहा है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

2. योजना का नाम व अवधिः-

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजनान्र्तगत इस योजना का नाम ''एकमुश्त समाधान योजना, 2020'' है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 31.03.2021 तक प्रभावी रहेगी।

3. योजना स्वीकृति के आधारः-

(अ) मूल अनुदान राशि मय ब्याज माफ करने के आधार -

(i) ऋण नहीं चुकाने के कारण जिन इकाइयों का बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ राजस्थान वित्त निगम/रीको ने अधिग्रहण कर घाटे में विक्रय कर दिया है, अर्थात, इकाई के विरूद्ध जो बकाया राशि थी, उससे भी कम राशि में उसे बेचा गया है।

(ii) जिन इकाईयों का बैंकों/वित्तीय संस्थानों/राजस्थान वित्त निगम/रीको ने बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु एक मुश्त समाधान (One Time Settlement) किया हो एवं सम्पूर्ण ऋण की वसूली नहीं हुई हो, और आर्थिक संकट के कारण इकाई का रूग्ण होना अथवा बीआईएफआर द्वारा उसे रूग्ण घोषित किया गया हो।

(iii) ऐसी इकाईयाँ जो किराये के भवनों में स्थापित की गई थीं किन्तु वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं तथा उनके प्रर्वतकगण द्वारा पलायन किया जा चुका है एवं काफी प्रयासों के बाद भी उनका पता नहीं चल पा रहा है।

(iv) ऐसी इकाईयाँ जो प्रवर्तकों के नियंत्रण से परे रही विपरीत परिस्थितिवश, जैसे - राजकीय नीतियों में बदलाव-के कारण विगत 5 वर्षों तक उत्पादनरत नहीं रही हैं।

(v) ऐसी इकाइयाँ जिनसे एल. आर. एक्ट/पी.डी.आर एक्ट के अन्तर्गत वसूली नहीं हो सकी अथवा एल.आर.एक्ट/पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत संबंधित न्यायालयों में विगत 5 वर्षों से अधिक समय से प्रकरण विचाराधीन हैं।

(vi) ऐसे प्रकरण जिनमें दैवयोग (Force Majeure) के कारण आग लगने/बाढ़ आने, भूकम्प, प्राकृतिक आपदा, आदि घटित होने के कारण इकाई कार्यरत नहीं रही है।

(vii) ऐसी इकाई जिसे दोषी होने के कारण सम्बन्धित वित्तीय संस्थान द्वारा अधिग्रहण कर किसी अन्य प्रबन्धन को विक्रय की गई तथा नये प्रबन्धन द्वारा इकाई में उत्पादन किया गया है एवं उक्त इकाई अधिग्रहण से पूर्व के प्रबन्धन एवं पश्चात्वर्ती नये प्रबन्धन के अधीन कुल मिलाकर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक उत्पादनरत रही है।

(ब) अनुदान राशि पर केवल ब्याज माफ करने के आधार –

(i) ऐसी इकाइयाँ जिनके सम्बंध में बैंकों/वित्तीय संस्थानों/राजस्थान वित्त निगम/रीको द्वारा एक मुश्त समाधान (One Time Settlement) कर लिया गया है एवं उनकी परिसम्पतियाँ उपलब्ध हैं।

(ii) ऐसी इकाइयाँ जो 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक उत्पादनरत तो रही हैं किन्तु नियमानुसार वार्षिक उत्पादन प्रतिवेदन अनुदान वितरण ऐजेन्सी को समय पर प्रस्तुत नही कर सकीं (बशर्ते अब उनके द्वारा 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक उत्पादनरत रहने सम्बंधी दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किये जाते हैं)।

(iii) ऐसी इकाईयाँ जो प्रर्वतकगण के नियंत्रण से परे विपरीत परिस्थितिवश, जैसे - तकनीकी उन्नयन के कारण तकनीक में बदलाव, वित्तीय असन्तुलन, कार्यशील पूंजी की कमी, उत्पाद के विपणन की समस्या, आदि कारणों से 5 वर्ष तक उत्पादनरत नहीं रही हैं।

(iv) ऐसी इकाइयाँ जो कुछ समय के लिये तकनिकी/विपणन कारणों से बन्द हो गई थीं किन्तु कुछ अन्तराल पश्चात् पुनः चालू हो गई और कुल मिलाकर 5 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक उत्पादनरत रही हैं।

4. योजना स्वीकृत नहीं किये जाने के आधारः-

(i) जिन इकाईयों के अनुदान/ब्याज वसूली के प्रकरण एल.आर. एक्ट/पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत सम्बंधित न्यायालयों में विगत 5 वर्ष अथवा उससे कम अवधि से विचाराधीन है।

(ii) ऐसी इकाईयाँ जिनके प्रर्वतकगण की सम्पत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध है तथा जिनसे अनुदान व ब्याज राशि की वसूली संभव हैं।

(iii) ऐसे प्रकरण जो अनुदान मयब्याज माफ करने अथवा केवल ब्याज राशि माफ करने हेतु इस योजना के बिन्दु संख्या 3 में कवर नहीं होते हैं।

5. आवेदन प्रक्रियाः-

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 2020 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम एवं रीको द्वारा वित्त पोषित इकाईयां को अनुदान का वितरण राजस्थान वित्त निगम/रीको द्वारा तथा अन्य वित्तीय संस्थानों/स्ववित्त पोषित इकाईयों के मामलों में अनुदान का वितरण उद्योग विभाग द्वारा किया गया था। संबंधित वितरण एजेन्सी द्वारा इकाईवार प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ठ-अ**) में तैयार कर उसमें उल्लिखित तथ्यों की जांच उपरान्त अपनी अभिशंषा सहित आयुक्त, उद्योग विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों का निस्तारणः-

योजना अन्तर्गत संबंधित एजेन्सियों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा एवं निस्तारण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया हैः-

1. आयुक्त, उद्योग विभाग — अध्यक्ष
2. प्रबन्ध निदेशक, रीको अथवा प्रतिनिधि (वित्तीय सलाहकार) — सदस्य
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम अथवा प्रतिनिधि (कार्यकारी निदेशक, वित्त) — सदस्य
4. वित्तीय सलाहकार, उद्योग — सदस्य
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग /प्रभारी अधिकारी (अनुदान) — सदस्य-सचिव

7. योजना का क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक विभागः-

योजना का क्रियान्वयन कार्यालय आयुक्त, उद्योग द्वारा किया जायेगा।

8. योजना में परिवर्तन अथवा संशोधन की शक्तियां -

योजना में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन, आदि हेतु प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार सक्षम होंगे।

संलग्न : परिशिष्ठ-अ

राज्यपाल की आज्ञा से,

नीतू बारूपाल,
शासन उप सचिव।

परिशिष्ठ-अ

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के अन्तर्गत एकमुश्त समाधान पैकेज हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

1.	इकाई का नाम एवं पता	
2.	उत्पाद का नाम एवं उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथी	
3.	इकाई द्वारा की गई निवेश राशि।	
4.	अनुदान भुगतान की राशि एवं तिथि	
5.	वसूलनीय मूल अनुदान व आदिनांक ..... तक की ब्याज राशि।	
6.	इकाई वर्तमान में बन्द है अथवा चालू, यदि इकाई बन्द है तो कब से बन्द है, बन्द होने की तिथी व माह	
7.	इकाई के बन्द होनें के कारण	
8.	इकाई के उत्पादनरत रहनें की अवधि।	वर्ष माह
9.	इकाई से अनुदान/ब्याज वसूल किया जा सकता है या नहीं, यदि किया जा सकता है तो उसके साक्ष्य संलग्न करें।	
10.	वसूली हेतु प्रकरण एल आर एक्ट/न्यायालय में विचाराधीन है अथवा नहीं यदि विचाराधीन है तो कब से है ?	
11.	इकाई से अनुदान व ब्याज राशि वसूल नहीं होने के कारण अनुदान मय ब्याज अथवा केवल ब्याज माफी के ठोस साक्ष्य/आधार। (साक्ष्य के रूप में बिजली का बिल, आय कर रिर्टन/बिक्री कर रिर्टन की प्रति/बैलेंसशीट की प्रति आदि)	
12.	इकाई से किस प्रकार से मूल अनुदान/ब्याज प्राप्त किया जा सकता है उसके आधार एवं साक्ष्य।	
13.	मूल अनुदान राशि मय ब्याज/केवल ब्याज माफी हेतु महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/ राजस्थान वित्त निगम/रीको की स्पष्ट अभिशंषा।	

हस्ताक्षर
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र/
अधिकारी, रीको/राजस्थान वित्त निगम

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।